

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ़

क्रमांक/रीडर/2024/727

दिनांक 05/9/2024

तहसीलदार (राजस्व)

सबतसर। पल्लू ५

विषय :- मुकदमा संख्या :- 157/2024

अनवान:-

सुदेश कुमार पुत्र साजनराम जाति जाट निवासी घणियासर तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।

-वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व पल्लू जिला हनुमानगढ़।
2. कृष्ण कुमार पुत्र साजनराम जाति जाट निवासी घणियासर तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।
3. शिशपाल पुत्र साजनराम जाति जाट निवासी घणियासर तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।
4. गुड्डी देवी पत्नी साजनराम जाति जाट निवासी घणियासर तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।
5. पुष्पा पुत्री साजनराम जाति जाट निवासी घणियासर तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।
6. संतोष पुत्री साजनराम जाति जाट निवासी घणियासर तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।
7. रामकुमार पुत्र हजारीराम जाति जाट निवासी घणियासर तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।

-प्रतिवादीगण

आवेदन पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 एए(3)(2क) 88 के अन्तर्गत प्री 55 की भूमि के खातेदारी अधिकार की घोषणा करवाने।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उपरोक्त अनवानी प्रकरण में निर्णय दिनांक 05/9/2024

के द्वारा वादी व प्रतिवादी सं. 2 ता 7 के नाम दर्ज भूमि को प्री 55 का होने तथा सिलिंग सीमा से कम होने पर रोही मौजा घणियासर के खसरा नम्बर 473/211 की 7.843 है., 474/334 की 4.554 है, कुल 12.397 है. तहसील पल्लू के वादी व प्रतिवादी नम्बर 2 ता 7 को ब हिस्सा बराबर 1/2 हिस्सा के व प्रतिवादी सं. 7 को 1/2 हिस्सा तथा रोही मौजा घणियासर के खसरा नम्बर 203/2 की 2.850 है., 471/211 की 4.427 है., 472/211 की 1.898 है. कुल 9.175 है. भूमि का प्रतिवादी सं. 7 को निःशुल्क खातेदारी अधिकारों की घोषणा की जाती है। यदि उक्त भूमि का पूर्व में आरटीएक्ट की धारा 15 एए के अन्तर्गत किसी न्यायालय से कीमतन आवंटन किया जाकर निर्णय हो चुका है तो पूर्व निर्णय ही मान्य होगा तथा देय किश्ते वसूल होगी। यह आदेश निम्न परिस्थितियों में स्वतः ही निरस्त समझें जावेंगे कि यदि प्रश्नगत रकबा :-

1. किसी राशि/प्रभार के बकाया होने पर। 2. सीलिंग सीमा से प्रभावित होने पर। 3. विशेष आवंटन सूची में अधिसूचित होने पर। 4. न्यायिक विवाद/स्थगन होने पर। 5. सार्वजनिक कार्य/आबादी हेतु आरक्षित होने पर। 6. वारीसान के कब्जा काश्त नहीं होने पर। 7. आरटीएक्ट की धारा 16 से प्रभावित होने पर। 9. रकबा घग्घर फलड व जोहडपायतन या वन विभाग का होने पर।

अतः आप इन शर्तों की जांच कर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करे।

क्रमांक/सम/ 728-729

प्रतिलिपि- निम्न को सुचनार्थ/पालनार्थ

1. तहसीलदार राजस्व लेखागार तहसील कार्यालय सबतसर को पालनार्थ।
2. वादी सुदेश कुमार पुत्र साजनराम को सुचनार्थ।

०/८

सहस्रखण्ड अधिकारी
रावतसर

दिनांक

